

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
दिनांक : 10/1/2024

क्रमांक : ई/चि.अ./ए-604/2025/ 20

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
सामान्य चिकित्सालय-बून्दी।

विषय:- डॉ आसिफ रजा (आर्थो.) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने बावत् ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि डॉ आसिफ रजा (आर्थो.) चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, बून्दी का फ़ैलोशीप कोर्स हेतु दिनांक 07.08.2023 से 06.02.2024 तक का असाधारण अवकाश प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया था। परन्तु चिकित्सक द्वारा उक्त कोर्स पूर्ण नहीं कर 02 माह कोर्स करने के पश्चात ही अन्य निजी चिकित्सालय में अध्ययन हेतु कार्यग्रहण कर लिया एवं तत्पश्चात चिकित्सक द्वारा स्वैच्छा से अन्य किसी निजी चिकित्सा संस्थान में अध्ययन हेतु कार्यग्रहण कर लिया। चिकित्सक द्वारा मनमानी करते हुए दिनांक 07.08.2023 से स्वैच्छा अनुपस्थित है।

अतः डॉ आसिफ रजा (आर्थो.) के विरुद्ध आरोप-आरोप विवरण तैयार कर मय अ,ब,रा,द मय दस्तावेजों के 03 दिवस में आवश्यक रूप से निदेशालय को भिजवाने का श्रम करे। ताकि अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।
दिनांक :

क्रमांक : ई/चि.अ./ए-604/2025/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा० (गुप-2) विभाग राज० जयपुर
2. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने का श्रम करें।
3. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

Document certified by RAVI PRAKASH SHARMA <dydravisharma@gmail.com>

Digitally Signed by Ravi
Prakash Sharma
Designation: Additional Director
Date: 10-01-2025 12:39:05